दिनांकः 25.1.2024 वाद पुकारा गया। प्रस्तुत मामला वादी की तरफ से दिनांक 12.01.2022 को व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 1, 2 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पर आदेश हेतु निर्धारित है।

प्रस्तुत मामले में वादी की तरफ से एक अस्थायी ब्यादेश का आवेदन न्यायाल में प्रस्तुत किया गया । वादी का कथन है कि प्रस्तुत वाद अर्जी नालिस के मद न0 2 की एराजी पर हकीयत की घोषणा व दखल कब्जा की संपुष्टि हेतु दाखिल किया गया है। यह कि दिनांक 25.09.21 को किया गया बयनामा नविस्ते प्रतिवादी सं 3 से 5 बनाम प्रतिवादीगण नाजायज है यह कि जमीन व्यवसायिक प्रकृति की है । वादी रोजी रोटी के सिलसिले में बाहर रहते थे । यह कि एराजी मुंदर्जे मद न0 2 और 3 की जमीन में मिट्टी भर कर प्रतिवादीगण आनन फानन में कच्चा या पक्का निर्माण कर तकरारी जमीन का भौतिक स्वरूप बदलना चाहते हैं यह कि तकरारी जमीन अभी खाली है और यदि जमीन पर प्रतिवादीगण कोई कच्चा या पक्का निर्माण कर लेते हैं तो जमीन के स्वरूप में परिवर्तन आ जाएगा। यह कि वादी को प्रथम दृष्टया मामला हासिल है अत न्यायालय से अनुरोध है कि वाद में यथास्थिति बनाये रखने एवं वर्तमान स्वरूप को बदलने से रोकने का आदेश प्रदान किया जाए ।

प्रतिवादीगण की तरफ से कारणपृच्छा में कहा है कि प्रस्तुत आवेदन चलने योग्य नहीं है यह कि वादी ने अपने कब्जे के संबंध में गलत बयान दिया है। यह कि प्रतिवादीगण जमीन पर खरीददारी की तिथि से कब्जे में है यह कि वादी को कोई प्रथम दृष्टया वाद हासिल नहीं है प्रतिवादीगण सदभाव पूर्वक मामले के क्रेता हैं यह कि प्रतिवादीगण ने जमीन क्रय करने से पूर्व जमीन का मालिकाना हक किसके पक्ष में है इसका भी निरीक्षण किया था और तत्पश्चात यह विक्रय किया था । अतः मामले में वादी के अस्थायी ब्यादेश का आवेदन को अस्वीकृत करने की कृपा की जाए।

उभय पक्षों को सुना। मामले का अनुशीलन किया। मामले के अनुशीलन के पश्चात न्यायालय व्यवहार प्रक्रिया संहिता आदेश 39 नियम 1 के अनुसार ***वे दशाएं जिनमें अस्थायी ब्यादेश दिया जा सकेगा जहां किसी वाद में शपथपत्र द्वारा या अन्यथा यह साबित कर दिया जाता है कि (क) वाद में विवादग्रस्त किसी संपत्ति के बारे में यह खतरा है कि वाद का कोई भी पक्षकार उसका दुर्व्ययन करेगा उसे नुकसान पहुंचाएगा या अन्य संक्रांत करेगा, या डिक्री के निष्पादन में उसका सदोष विक्रय कर दिया जाएगा, अथवा (ख) प्रतिवादी अपने लेनेदारों को कपट वंचित करने की दृष्टि से अपनी सम्पत्ति को हटाने या व्ययनित करने की धमकी देता है आश्य रखता है, (ग) प्रतिवादी को वाद में विवादग्रस्त किसी सम्पत्ति से बेकब्जा करने की या वाद को उस सम्पत्ति के सम्बन्ध में अन्यथा क्षति पहुंचाने की धमकी देता है, वहां न्यायालय ऐसे कार्य को अवरूद्ध करने के लिए आदेश द्वारा अस्थायी ब्यादेश दे सकेगा या सम्पत्ति को दुर्व्ययित किए जाने, नुकसान पहुंचाए जाने, अन्य संक्रान्त किए जाने, विकय किए जाने, हटाए जाने या व्ययनित किए जाने से अथवा वादी को वाद में विवादग्रस्त सम्पत्ति से बेकब्जा करने या वादी को उस सम्पत्ति के सम्बन्ध में अन्यथा क्षति पहुंचाने से रोकने और निवारित करने के प्रयोजन से ऐसे अन्य आदेश जो न्यायालय***

ठीक समझे, तब तक के लिए कर सकेगा जब तक उस वाद को निपटारा न हो जाए या जब तक अतिरिक्त आदेश न दे दिए जाए।

प्रस्तुत मामले में उपस्थित पक्ष की बहस सुनने के पश्चात तथा व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अवलोकन के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि मामले में वादी का आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है, मामले में अधिवक्ता आयुक्त की भी नियुक्ति की गयी थी वादी ने अपने मालिकाना हक के संबंध में न्यायालय में कुछ दस्तावेज भी प्रस्तुत किये हैं । प्रस्तुत मामले में एक बात स्पष्ट है कि विवादित जमीन अभी प्रतिवादीगण के कब्जे में है और यह कब्जा उन्होंने बयनामा के पश्चात प्राप्त किया है। वादी ने अपने मूल वाद में जो अनुतोष चाहा है उसने स्पष्ट रूप से यह वर्णित किया है कि प्रतिवादीगण का बयनामा दिनांक 25.09.21 को गैर कानूनी करार दिया जाए । ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादीगण ने सयतकरारी मुनदर्जे मद न0 2 अर्जी नालिस के निश्वत बयनामा बहक प्रतिवादी फरीक के नाम से खड़ा कर दिया है। इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण को विवादित जमीन पर बयनामा से हक प्राप्त हुआ है । बयनामा सही है या गलत इस संबंध में विचारण के पश्चात ही कोई निश्चायत निर्णय लिया जा सकता है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत न्यायालय यह पाती है कि वादी को विवादित जमीन पर प्रथम दृष्टया मामला बनता प्रतीत नहीं होता है। अधिवक्ता आयुक्त ने न्यायालय में प्रस्तुत अपने प्रतिवेदन में कहा है कि विवादित जमीन पर निर्माण हेतु बांस का खंभा एवं ऐस्वेस्टस रखा हुआ है और और प्रस्तुत मामले में चूंकि जब तक वाद का स्वत्व निर्धारित नहीं हो पाता है तब तक यह कहना बहुत मुश्किल है कि सुविधा का संतुलन किस पक्षकार के पक्ष में है। अत मामले में अपूर्णीय क्षति होने की संभावना वादी को होती हुई प्रतीत नहीं होती है अतः प्रस्तुत निषेधाज्ञा आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। एतद द्वारा प्रस्तुत आवेदन का निस्तारण किया जाता है। वाद दिनांक ..... वास्ते अग्रिम कार्रवाई ।

अवर न्यायाधीश
अरेराज, पूर्वी चम्पारण।